संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग–भोपाल

पता : पी0डब्ल्यू0डी0शेड 12 दफ्तर जवाहर चौक भोपाल...

फोन नं. 0755–2770889 ई–मेल : . Email-jdhbhopal@gmail.com

पत्र क्र. ....   दिनांक ....

प्रति,

....

....

....

विषय :–   प्रदेश स्तर पर प्रमाणित सब्जी बीजों की क्रय हेतु निविदा प्रपत्र।

महोदय,

वर्ष 2017–18 खरीफ 2017 बाड़ी (किचन गार्डन) योजना के अंतर्गत संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संभाग .... पता .... प्रमाणित सब्जी बीजों के क्रय हेतु अपने नियम व शर्तो सहित निविदाऐं आमंत्रित करता है।

जिसमें की समस्त नियम व शर्ते इस निविदा फार्म के साथ संलग्न करते हुये निविदा फार्म हेतु 1000/– रूपयें के बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संभाग भोपाल..... के नाम से देय हो (जो कि वापस योग्य नहीं होगा।) निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा निर्धारित ऑफर बॉक्स में दिनांक 12.05.2017 अपरान्ह 2:00 बजे तक जमा होगी एवं उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे समिति के द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पता संयुक्त संचालक उद्यान, भोपाल संभाग भोपाल पी0डब्ल्यू0डी0शेड 12 दफ्तर जवाहर चौक भोपाल पर खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जायेगी। सशर्त निविदा को अमान्य किया जावेगा।

संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग भोपाल मध्यप्रदेश

प्रदेश स्तर पर प्रमाणित बीजों की प्रदायगी हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार है।

1. अमानत राशि रूपये 1,00,000/— का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, संभाग भोपाल के नाम से देय होगा जो कि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा । अमानत राशि के अभाव में निविदा अमान्य मानी जावेगी।
2. निविदाकारों की जिन बीजों की दरें न्यूनतम प्राप्त होंगी, समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् निविदाकर्ता को अनुबंध के समय उन बीजों के अंतिम प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि अनुबंध के समय अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जावेगे तो उनके द्वारा प्रस्तुत दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
3. उपरोक्त बीजों की दरें F.O.R. विकास खण्ड स्तर पर पहुँचाकर प्रदायगी की रहेगी। अलग से कोई भी अतिरिक्त राशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
4. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम बीज प्रमाण–पत्रों का विभाग द्वारा संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था से सत्यापन कराया जावेंगा, उसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5. बाड़ी किचिन गार्डन हेतु बीजों की पैंकिंग विभाग की मांग अनुसार लगभग 5 ग्राम से 100 ग्राम तक छोटे पैकेट तैयार कर प्रदाय करना होगा जिसका प्रपत्र एवं प्रदाय की जाने वाली मात्रा विवरण बीज प्रदायगी आदेश देते समय दिया जायेगा। तद्अनुसार चाही गई छोटी पैकिंग में प्रदायगी सुनिश्चित करना होगी। पैकिंग का अलग से कोई भी अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
6. जो किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) है उन्हीं फसलों/किस्मों के प्रमाणित बीज क्रय किये जायेंगे।
7. न्यूनतम दरें फसलवार मान्य की जावेगी।
8. जिन निविदाकारों की फसलवार प्रथम न्यूनतम दरें प्राप्त होंगीं, यदि उनके द्वारा निविदा में चाही गई पूर्ण मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जावेगी तो उस स्थिति में द्वितीय, तृतीय व अन्य निविदाकार से उनकी दरों पर शेष मात्रा की पूर्ति करायी जावेगी। जिस हेतु प्रथम या द्वितीय न्यूनतम दरों वाले निविदाकार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।
9. यदि प्रदाय किये गये बीजों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी जिले या किसान से कोई शिकायत प्राप्त होती है और यदि जांच में सही पायी जाती है तो उसका निराकरण स्वयं प्रदायकर्ता को करना होगा।
10. प्रदाय किये जाने वाले बीजों की राशि का भुगतान संबंधित जिलों के द्वारा अधिकतम 120 दिवस में कर दिया जावेगा।

संयुक्त संचालक उद्यान

11. जिन निविदाकारों की दरें अनुमोदित की जायेगी उन्हें शासकीय कार्य दिवस में तीन दिन के भीतर प्रदाय की जाने वाली मात्रा का अनुमोदित दरों के मान से 3 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 2 लाख अग्रिम अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जो कि बाद में बीजों की आपूर्ति के पश्चात् प्रदायक को बिना ब्याज के प्रदायगी दिनांक से 120 दिवस में वापस कर दी जायेगी तथा निविदा के साथ जमा की गई राशि को उसी 3 प्रतिशत राशि में समायोजित कर मान्य किया जायेगा।
12. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरें केवल **रूपये प्रति कि0ग्रा0** में प्रस्तुत की जावेगी।
13. प्रस्तुत निविदा में सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर आवश्यक रहेंगे।
14. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में दर अंको में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में दी गई दर को ही मान्य किया जावेगा।
15. 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर सहमति एवं घोषणा पत्र परिशिष्ट–1 के अनुसार दिया जाना होगा जो कि नोटरी द्वारा नोटराइज्ड कराकर देना होगा।
16. निविदाओं में दी गई प्रमाणित बीजों की मात्रा अनुमानित है। जो कि निविदा खुलने के पश्चात् समिति द्वारा दरों के अनुमोदन के पश्चात् तथा निविदा में उपलब्ध प्रमाणित बीजों की मात्रा के आधार पर अंतिम माँग निश्चित की जायेगी।
17. जिन लॉटो के बीजों की प्रदायगी की जावेगी उन बीजों की मूल थैलियों से निकाले गए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी किये गये मूल टेग अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।
18. बीजों की प्रदायगी आदेश दिनांक से 20 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी।
19. यदि प्रदायक के द्वारा आदेशित मात्रा के अनुसार बीज नहीं प्रदाय किया जावेगा। तो जो अमानत राशि विभाग के पास अग्रिम राशि के रूप में जमा होगी, उसे विभाग राजसात करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा ऐसे प्रदायकों को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
20. प्रदाय की जाने वाले बीजों की फसलवार एवं किस्मवार मात्रा का पूर्ण विवरण निविदाकर्ता को निविदा में स्पष्ट रूप से देना होगा।
21. निविदाकर्ता निविदा में दी गयी बीजों की मात्रा में से समस्त फसलों के बीजों की मात्रा हेतु अथवा किसी भी एक बीज की कितनी ही मात्रा हेतु निविदा शर्तो के अनुसार निविदा में प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।
22. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संभाग भोपाल को होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र संभागीय न्यायालय होगा।

संयुक्त संचालक उद्यान
भोपाल संभाग भोपाल

24. जिन निविदा कर्त्ताओं की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जावेगा, उनका अनुबंध तीन दिवस के भीतर संबंधित निविदाकर्त्ता को करना होगा, तथा अनुबंध के साथ सिक्योरिटी राशि जमा कराना होगी। एवं अनुबंध पश्चात प्रमाणित सब्जी–बीजों का सत्यापन समिति द्वारा तत्काल कराया जावेगा।

25. यह दरें पूरे वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लागू होगी। जो दरे निर्धारित होंगी उन्ही दरों पर अन्य योजनाओं में भी यदि प्रमाणित सब्जी बीजों की आवश्यकता होगी तो बीज प्रदाय करना होगा।

26. जिन निविदाकर्ताओ की दरो का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जावेगा, प्रदायक द्वारा बीज बाहर राज्यों से क्रय किये गये हो तो परिवहन की चालान बिल्टी की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

संयुक्त संचालक उद्यान
भोपाल संभाग भोपाल

निविदा फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की चैक लिस्ट

1. संकल्प धनराशि रूपये 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट।
2. बीजों के वैध लाईसेन्स की प्रति।
3. टिन नंबर एवम् पैन नंबर की प्रति।
4. निविदाकार फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रति।
5. यदि निविदाकार स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत करने एवं निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही हेतु दिये गये अधिकार पत्र की मूल प्रति स्वप्रमाणित हस्ताक्षर सहित।
6. विभाग को प्रमाणित बीजों की प्रदायगी बाबत् 100 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र।
7. काली सूची में एवं किसी भी संस्था द्वारा दण्डित न होने पर एवं किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन न होने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज़्ड किया हुआ घोषणा पत्र।

परिशिष्ट 'अ'

संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

संभाग ....

पता : ....

फोन नं. .... फैक्स नं. ....

ई–मेल : ....

पत्र क्र. .... दिनांक ....

प्रति,

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग ....

महोदय,

1. प्रदायक का नाम एवं पता ....
   ....
2. फोन नं. .... फैक्स नं. ....
3. टिन नं. ....
4. पैन नं. ....
5. बीज लाईसेन्स नं. .... वैधता दिनांक ....

परिशिष्ठ 'ब'

संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

संभाग ....

पता : ....

फोन नं. .... फैक्स नं. ....

ई–मेल : ....

पत्र क्र. .... दिनांक ....

(प्रमाणित सब्जी बीज की उपलब्धता के संबंध में)

सं.क्र.	फसल का नाम	किस्म/प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल में
1	लौंकी		
2	गिलकी		
3	करेला		
4	बरबटी		
5	पालक		
6	कद्दू		

संयुक्त संचालक
संयुक्त संचालक उद्यान
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
भोपाल संभाग भोपाल
संभाग ....मध्यप्रदेश

वित्तीय ऑफर
संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग ....

पता : ....

फोन नं. .... फैक्स नं. ....

ई–मेल : ....

वर्ष 2017–18. हेतु प्रमाणित सब्जी बीजों के क्रय हेतु वित्तीय ऑफर

1. प्रदायक का नाम एवं पता ....

2. फोन नं. .... फैक्स नं. ....

3. ई–मेल ....

सं. क्र.	फसल का नाम	किस्म/प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल	प्रदाय दर रूपये प्रति कि0ग्रा0 जिला कार्यालय पहुचाकर	
				अंको में	शब्दों में
1	लौंकी				
2	गिलकी				
3	करेला				
4	बरबटी				
5	पालक				
6	कद्दू				

परिशिष्ट 'स'

अनुबंध

मेरे द्वारा विभाग की समस्त शर्तो को मान्य करते हुये अपनी निविदा प्रस्तुत की गयी है तथा हम निम्न मात्रा के प्रदाय हेतु विभाग से आज दिनांक .... को अनुबंध निष्पादित कर रहें है।

प्रमाणित बीजों की अनुबंधित मात्रा का विवरण

सं. क्र.	फसल का नाम	किस्म / प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल में	प्रदाय दर रूपये प्रति कि0ग्रा0 जिला कार्यालय पहुचाकर	
				अंको में	शब्दों में
1	लौंकी				
2	गिलकी				
3	करेला				
4	बरबटी				
5	पालक				
6	कद्दू				

यह अनुबंध आज दिनांक .... को संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संभाग .... के मध्य किया गया है तथा दिनांक .... को प्रस्तुत निविदा में मेरी फर्म की विभाग के पत्र क्र. .... दिनांक .... के द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रमाणित सब्जी बीजों की प्रदायगी हेतु अनुबंध निष्पादित कर रहे है। अनुबंध की समस्त शर्ते हमें मान्य है।

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग ....मध्यप्रदेश

(मुहर: संयुक्त संचालक उद्यान भोपाल संभाग भोपाल)

गवाह :

1. ....

2. ....

प्रदायक संस्था

100/– रूपयें के स्टाम्प पेपर पर

मैं .... मेसर्स ....
की ओर से विभाग द्वारा आमांत्रित प्रमाणित सब्जी बीज की निविदा हेतु निम्नलिखित कथन करता हूँ :–

1. यह कि मेरी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।
2. यह कि मेरी फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम द्वारा कभी प्रदाय के लिये दण्डित नहीं किया गया है।
3. यह कि मेरी फर्म का इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।